राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

कार्यक्रम का विवरण

राज्य में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति सम्बन्धित कार्य न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अर्न्तगत वर्ा 74–75 से किये जा रहे है। वर्ा 2002–2003 से कार्यक्रम का विलय प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में कर दिये जाने के फलस्वरूप न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का अस्तित्व समाप्त हो गया। वित्तीय वर्ा 2005–06 से इस योजना को ग्रामीण जलापूर्ति एवं जलोत्सारण का नाम दिया गया।

भारत सरकार से राज्यों को पेयजल आपूर्ति हेतु त्वरित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अर्न्तगत सहायता उपलब्ध कराई जाती रही है। वर्ा 2008–09 से केन्द्र पोाित पूर्ववर्ती त्वरित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम का नाम बदलकर रा ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम कर दिया गया है। इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण पेयजल योजना को छः घटकों आच्छादन,गुणता प्रभावित, सस्टेनेविलिटी, अनुरक्षण, सपोर्ट एक्टिविटी एवं जल गुणवत्ता अनुश्रवण में विभक्त किया गया है। भारत सरकार के निर्देशानुसार उपरोक्त इंगित छः मदों हेतु मात्राकरण तथा वित्त पो ाण निम्नानुसार किया जाता हैः–

क्र.सं.	घटक	मात्राकरण प्रतिशत में	फन्डिंग पैटर्न	
			केन्द्रांश	राज्यांश
1	रा ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम–आच्छादन	42%	50%	50%
2	रा ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम–गुणता प्रभावित	20%	50%	50%
3	रा ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम–सस्टेनेविलिटी	10%	100%	0%
4	रा ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम–संचालन एवं अनुरक्षण	15%	50%	50%
5	सपोर्ट एक्टिविटी	5%	100%	0%
6	जल गुणवत्ता अनुश्रवण	3%	100%	0%
7	ईयरमार्क्ड वॉटर क्वालिटी	5%	50%	50%

उक्त के अतिरिक्त कार्यदायी संस्थाओं के सेन्टेज हेतु व्यवस्था राज्यांश के अंतर्गत की जाती हैं।

प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का संचालन एवं अनुरक्षण राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा किया जा रहा है, जिसका प्रशासनिक विभाग, ग्राम्य विकास विभाग है। पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में समस्त नीतिगत निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की 'शीर्ष समिति' द्वारा लिये जाते है एवं इनके कियान्वयन व अनुश्रवण कार्य प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित कार्यकारिणी समिति द्वारा सम्पादित किये जाते है। राज्य स्तर पर कियान्वित की जाने वाली पेयजल योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा प्रदान की जाती है।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति को पीने, भोजन बनाने एवं अन्य घरेलू मूलभूत आवश्यकताओं हेतु शुद्ध पेयजल निरन्तरता के आधार पर उपलब्ध कराना है। राजीव गांधी मिशन, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण पेयजल सम्पूर्ति हेतु प्रस्तावित दिशा निर्देश में वर्णित प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैः–

- ग्रामीण क्षेत्र की समस्त बस्तियों में ुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
- पेयजल की उपलब्धता तथा स्रोत सस्टेनिबिलिटी सुनिश्चित करते हुए आपूर्ति एवं उपभोग, दोनों बिंदुओं पर, निर्धारित मानकों के अनुरूप इसके संपूर्ण योजना अवधि में सेवाओं की आपूर्ति।

C:\Users\omninet24.OMNINET.000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet

- जल की गुणता एवं पर्यवेक्षण हेतु ढ़ांचा विकसित कर पेयजल की गुणता संरक्षित करना।

पेयजल आपूर्ति की स्थितिः–

प्रदेश में कुल 97942 आबाद ग्राम हैं, जिनकी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 15.51 करोड़ है। वर्ष 2004 में भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत ग्रामीण बस्तियों में पेयजल की वास्तविक स्थिति ज्ञात करने हेतु विस्तृत सर्वेक्षण कराया गया। सर्वेक्षण के आधार पर प्रदेश में कुल बस्तियों की संख्या 2,60,110 है। सर्वेक्षण में, इनमें से 2,33,341 बस्तियां आच्छादित, 7993 अनाच्छादित तथा 18,776 आंशिक आच्छादित चिन्हित हुई थीं। इस समस्त अनाच्छादित तथा आंशिक आच्छादित बस्तियों को वर्ष 2008–09 मानक के अनुसार पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है।

वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल सम्पूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैंः–

I. *राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यकम*

1. आच्छादन

योजना के अंतर्गत नये हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन एवं रिबोरिंग, तथा नयी पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण से सम्बन्धित कार्य किये जा रहे हैं। शासन के आदेश संख्या 1167/38–5–09–67सम/07टी.सी. दिनांक 17 जुलाई 2009 द्वारा 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को पाइप पेयजल योजना के माध्यम से प्राथमिकता पर पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश हैं। हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन सम्बन्धित मानक, शासनादेश संख्या 725/अड़तीस–5–2012–67 सम/07 टी0सी0 दिनांक 26.06.2012 द्वारा निर्धारित किये गये है, जिसके अनुसार दो हैण्डपम्पों के बीच 75 मीटर की दूरी रखते हुए न्यूनतम आवश्यक संख्या में हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन किया जाना है। अभी भी प्रदेश की लगभग 90 प्रतिशत आबादी पेयजल हेतु पूर्णतः हैण्डपम्प पर निर्भर है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश की कम से कम 90 प्रतिशत आबादी को पाइप पेयजल योजनाओं से आच्छादित करने की कार्यवाही की जा रही है। प्रथम चरण में 10000 से अधिक आबादी एवं गुणता प्रभावित तथा लोहिया ग्रामों में 4000 हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामों को पाइप पेयजल योजना हेतु प्राथमिकता दी जा रही है।

गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में 73940 नये हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन के लक्ष्य के सापेक्ष कुल 63921 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये जबकि स्थायी रूप से खराब हैण्डपम्पों के रिबोर के वार्षिक लक्ष्य 44225 के सापेक्ष 39632 हैण्डपम्पों को रिबोर किया गया। इसी प्रकार पाइप पेयजल योजनाओं के वर्ष 2013–14 में निर्धारित लक्ष्य 523 के सापेक्ष 400 योजनायें पूर्ण कर संचालित की गयी।

प्रदेश में मार्च, 14 तक कुल 24.26 लाख हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार को प्रेषित कार्ययोजना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल 7000 ग्रामीण बस्तियों को पाइप पेयजल योजनाओं से आच्छादित करने तथा कुल 82200 हैण्डपम्पों को रिबोर करने का लक्ष्य है।

2. गुणता प्रभावित बस्तियों में पेयजल व्यवस्था

प्रदेश के काफी बड़े क्षेत्र में भूजल में पेयजल की गुणवत्ता की समस्या है। भूजल स्तर में लगातार गिरावट के कारण तथा भूजल की गुणवत्ता की समस्याओं के कारण काफी संख्या में हैण्डपम्प या तो निष्क्रिय हो रहे हैं अथवा इनसे मिलने वाला पेयजल पीने योग्य नहीं रह गया है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 में गुणता प्रभावित बस्तियों में पेयजल से सम्बन्धित 800 योजनाओं के लक्ष्य के सापेक्ष कुल 634 योजनायें पूर्ण कर संचालित की गयी।

वर्ष 2004 के सर्वेक्षण में चिन्हित गुणवत्ता से प्रभावित कुल 7395 बस्तियां (आर्सेनिक प्रभावित सहित) में से 7355 बस्तियों को मार्च, 12 तक लाभान्वित कर दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त 1266 नई बस्तियां चिन्हित हुई हैं, जिनमें से भी 714 बस्तियों को मार्च 14 तक लाभान्वित किया जा चुका है। वर्ष 2014–15 में पूर्व में चिन्हित बस्तियों में से शेष 552 बस्तियों सहित कुल 1400 गुणता प्रभावित बस्तियों को आच्छादित करने का लक्ष्य है।

C:\Users\omninet24.OMNINET.000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet

प्रदेश में गुणता प्रभावित बस्तियों की स्थिति की जानकारी पूर्व में कराये गये सैम्पिल सर्वेक्षण के परिणामों पर आधारित है किन्तु विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी तथा समय–समय पर कराये जा रहे परीक्षणों के फलस्वरूप अन्य क्षेत्रों में भी गुणता की समस्या सामने आ रही है। वास्तविक स्थिति के आंकलन हेतु लखनऊ, फैजाबाद, देवीपाटन, गोरखपुर, बस्ती एवं आजमगढ़ मण्डलों में जी0पी0एस0/जी0आई0एस0 मैपिंग का कार्य कराया जा रहा है जिससे पेयजल गुणवत्ता प्रभावित नयी बस्तियां चिन्हित की जा सकें।

3. ए0ई0एस0/जे0ई0 से प्रभावित ग्रामों में पेयजल व्यवस्थाः–

प्रदेश के 20 जनपद ए0ई0एस0/जे0ई0 की समस्या से प्रभावित हैं। गोरखपुर, बस्ती एवं देवीपाटन मण्डलों में यह समस्या गम्भीर है। समस्या के समाधान हेतु ए0ई0एस0/जे0ई0 से प्रभावित ग्रामों में छिछलें हैण्डपम्पों के स्थान पर इण्डिया मार्क–II हैण्डपम्पों की स्थापना करा दी गयी है। भारत सरकार द्वारा ए0ई0एस0/जे0ई0 प्रभावित बस्तियों में 3357 मिनी पाइप पेयजल योजनाओं हेतु रू0 110.71 करोड़, 18822 इण्डिया मार्क हैण्डपम्प हेतु रू0 58.34 करोड़ की कार्ययोजना स्वीकृत की गयी है। जिसके अन्तर्गत गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल में कार्य प्रगति पर है। शेश 13 जनपदों हेतु कार्ययोजना तैयार कर भारत सरकार को प्रशित की जा रही है।

4. स्रोत सस्टेनेबिलिटीः–

इस कार्यक्रम का उद्देश्य पेयजल के श्रोत एवं सिस्टम को सस्टेनेबुल करना है जिससे पेयजल व्यवस्था में शुद्ध एवं एक समान पेयजल की उपलब्धि भविष्य में सुनिश्चित हो सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर चेक डैम, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्लान्ट तथा सोकपिट के निर्माण से भूजल रिचाज्र के कार्य कराये जा रहे हैं।

प्रदेश में 215 विकास खण्ड भूजल स्तर में गिरावट की दृष्टि से क्रिटिकल/सेमी क्रिटिकल के रूप में चिन्हित हैं। गुणता प्रभावित बस्तियों तथा सामान्य बस्तियों में प्रस्तावित पेयजल योजनाओं को स्रोत स्थायित्व के कार्यों के संयोजन से क्रियान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। भू–जल, सतही जल एवं वर्षा जल के युक्तिसंगत उपयोग से इस बात का प्रयास किया जा रहा है जिसके लिए कार्यदायी संस्थाओं लघु सिंचाई विभाग को रू0 83.31 करोड़ एवं यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन को रू0 14.00 करोड़ की धनराशि विभिन्न जनपदों में चेक डैमों के निर्माण हेतु अवमुक्त की जा चुकी है। कार्य प्रगति पर है।

5. संचालन एवं रखरखावः–

झांसी एवं चित्रकूट धाम मण्डल के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप जल सम्पूर्ति के संचालन एवं अनुरक्षण का दायित्व संबंधित जल संस्थानों का है। झांसी एवं चित्रकूट धाम मण्डल के जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र हेतु शासन की अधिसूचना संख्या–3426/9–2(3)–79 दिनांक 01 अगस्त, 1989 एवं 2894/9–2–87–57(93)/87 दिनांक 16 मार्च, 1988 द्वारा जल संस्थान के अधिकार एवं दायित्व जल निगम को सौंपे गये हैं तद्नुसार प्रदेश के अन्य मण्डलों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण के दायित्व को उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा वहन किया जा रहा है।

शासनादेश संख्या 992/38–5–2002 दिनांक 26.03.2002 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिष्ठापित हैण्डपम्पों के अनुरक्षण का कार्य दिनांक 01.04.2002 से ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है।

प्रदेश में पेयजलापूर्ति हेतु निर्मित 2823 पाइप पेयजल योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव भी किया जा रहा है इनमें से 1785 योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव उ0प्र0 जल निगम द्वारा, 128 योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव झांसी/बांदा जल संस्थान द्वारा तथा 910 पाइप पेयजल योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है।

C:\Users\omninet24.OMNINET.000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet

6. जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं सतर्कताः–

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम का राष्ट्रीय स्तर पर संचालन किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैंः–

क– जल की गुणवत्ता के अनुश्रवण एवं निगरानी का विकेन्द्रीकरण करके प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त पेयजल स्रोतों का समुदाय के माध्यम से अनुरश्रवण एवं निगरानी का कार्यः–

इस कार्यक्रम के अंतर्गत समुदाय को पेयजल की गुणवत्ता, पेयजल स्रोतों का सुचारू रखरखाव एवं जल जनित रोगों के बारे में जानकारी देकर पेयजल के उपयोग एवं उनके रखरखाव के संबंध में उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु जन–जागरूकता के कार्य किये जा रहे हैं। चूंकि ग्राम स्तर पर पेयजल स्रोतों का परीक्षण ग्राम वासियों के द्वारा ही किया जाना है, अतः मानव संसाधन विकास हेतु राज्य एवं जनपद स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण तथा ग्राम स्तर पर कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करने हेतु कार्यशालाओं एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।

ख– पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी के अंतर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामीण पेयजल स्रोतों के रासायनिक एवं जैविक परीक्षण के लिये ग्राम पंचायत, जनपद एवं राज्य स्तर की त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थापित की जा रही है। ग्राम पंचायत स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत फील्ड किट के माध्यम से समस्त पेयजल स्रोतों (समस्त सरकारी एवं व्यक्तिगत पेयजल स्रोतों) की शत प्रतिशत फील्ड स्तरीय परीक्षण का कार्य पंचायत स्तर पर चिन्हित पंचायत कर्मियों द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत को स्थानीय स्तर पर जल की गुणवत्ता की जांच के लिये एक फील्ड टेस्ट किट व हाइड्रोजन सल्फाइड की शीशियां उ0प्र0 जल निगम द्वारा खण्ड विकास अधिकारियों को उपलब्ध करायी जा रही हैं। जनपद एवं राज्य स्तर पर स्थापित प्रयोगशालाओं में ग्राम स्तरीय परीक्षण के परिणामों के पुष्टिकरण हेतु परीक्षण कार्य किये जा रहे हैं।

ग– राज्य एवं जिला स्तरीय जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं संचालनः–

पेयजल की गुणवत्ता के अनुश्रवण हेतु प्रदेश के 75 में से 72 जनपदों में जनपदीय जल विश्लेषण प्रयोगशालायें स्थापित हैं, किन्तु अधिकांश प्रयोगशालायें अस्थाई भवनों में संचालित हैं, जिनमें समुचित स्थान उपलब्ध नहीं है। सुचारू जल विश्लेषण हेतु इन प्रयोगशालाओं सुदृढीकरण की आवश्यकता है। इस कार्य हेतु राज्य एवं जनपद स्तरीय जल–विश्लेषण प्रयोगशालाओं के उन्नयन/सुदृढीकरण हेतु समुचित स्थान वाले भवन तथा आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था हेतु निम्नानुसार कार्य किया जा रहा हैः–

(i) *राज्य स्तरीय प्रयोगशालाः*

प्रदेश स्तरीय प्रयोगशाला को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करके संदर्भ प्रयोगशाला के रूप में स्थापित करने हेतु उ0प्र0 जल निगम की लखनऊ स्थित राज्य स्तरीय प्रयोगशाला का उच्चीकरण किया जा रहा है।

(ii) *नई जनपद स्तरीय प्रयोगशालाओं की स्थापना का कार्यः–*

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के वित्तपोषण से विगत वर्षों में प्रदेश के पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता परीक्षण हेतु जनपद स्तर पर 72 जल परीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित की जा चुकी हैं। अन्य तीन नवसृजित जनपदों प्रबुद्ध नगर, भीमनगर, पंचशील नगर में जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। प्रदेश की समस्त जनपदीय प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण हेतु प्रयोगशालाओं की वर्तमान स्थिति के आंकलन हेतु आई0आई0टी0 कानपुर से अध्ययन कराया गया था। अध्ययन रिपोर्ट की संस्तुतियों के आधार पर जनपदीय प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण हेतु प्रस्ताव राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है तथा प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण का कार्य प्रगति पर है।

II- ***सपोर्ट एक्टिविटीः–*** इस मद से पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित आई0ई0सी0 गतिविधियों एवं अन्य तकनीकी गतिविधियों का संचालन किया जाता है।

1. ***सूचना शिक्षा एवं संचार*** **(IEC)-** सूचना शिक्षा एवं संचार के अन्तर्गत हितभागियों के बीच स्वास्थ्य, सुरक्षित पेयजल के उपयोग एवं स्वच्छता के सम्बन्ध में सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन लाना

C:\Users\omninet24.OMNINET.000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet

है। इसके लिए सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के बारे में ग्रामीण समुदायों को जागरूक करने एवं सशक्त कर ज्ञान बढाने की आवश्यकता है। इस कार्य हेतु मास मीडिया, प्रिंट मीडिया, गैर पारंपरिक मीडिया, आउटडोर माध्यम जैसे पोस्टर, होर्डिंग, बैनर, नारे, एस.एम.एस. सन्देश, सूचना परक पुस्तिका, पर्चे, दृश्य–श्रव्य सी.डी., वृत्त चित्र, आदि के माध्यम से ग्रामीण समुदाय को जागरूक किया जाता है।

2. ***मानव संसाधन विकास*** **(HRD)** – मानव संसाधन विकास के अन्तर्गत राज्य, जिला, ब्लॉक तथा ग्राम पंचायत स्तरीय सभी स्टेक होल्डर्स की पेयजल से सम्बन्धित मुद्दों पर क्षमता संवर्धन हेतु प्रशिक्षण/अभिमुखीकरण कार्यक्रम चलाये जाते है। राज्य ग्राम विकास संस्थान, लखनऊ प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत के 05 ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल के मुख्य उद्देश्यों, जल की महत्ता, गुणवत्ता तथा चिरंतरता पर प्रशिक्षित करने हेतु 03 दिवसीय सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। सपोर्ट गतिविधियों के अन्तर्गत लखनऊ तथा गोरखपुर जोन के 25 जनपदों के प्रत्येक सार्वजनिक पेयजल स्रोत की जल जांच तथा जी0आई0एस0 आधारित मैपिंग का कार्य भी कराया जाना है, जिसके अन्तर्गत ग्राम स्तरीय जी0आई0एस0 आधारित मानचित्रों का विकास किया जाएगा। पेयजल से सम्बन्धित रिसर्च एवं डेवलपमेन्ट के अन्तर्गत नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रूड़की से दो अध्ययन कराये जा रहे है। इसे साथ–साथ बाह्य एजेन्सी के माध्यम से कार्यक्रम एवं परियोजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य भी कराया जायेगा।

3. ***एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली*** (IMIS): ई–गवर्नेन्स के अन्तर्गत पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन के भौतिक एवं वित्तीय अनुश्रवण हेतु एक वेब आधारित एकीकृत प्रबन्धन सूचना प्रणाली विकसित की गई है। सहयोग मद में एम0आई0एस0 के अन्तर्गत कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर तथा नेटवर्किंग इत्यादि का क्रय तथा उच्चीकरण करके इस प्रणाली को प्रदेश में प्रत्येक स्तर पर विकसित किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत रसायनिक प्रयोगशालाओं में भी कम्प्यूटर प्रणाली उपलब्ध करायी जायेगी ताकि जल गुणवत्ता से सम्बन्धित आंकड़ों की प्रविष्टि प्रयोगशाला स्तर से भी आई0एम0आई0एस0 में जा सके।

   कम्प्यूटरीकरण के अन्तर्गत प्रदेश में एक शिकायत समाधान प्रणाली (Grievance Redressal System) की स्थापना की गई है, जिसका सुचारू रूप से क्रियान्वयन एवं उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है।

वित्तीय प्रगति :– ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि तथा व्यय का विवरण निम्नानुसार हैः–

(लाख रु0 में)

वर्ष	***उपलब्ध धनराशि***				***व्यय***
	01 अप्रैल को अवशेष धनराशि	***केन्द्रांश***	***राज्यांश***	***योग***	
2007–08	23364.00	47436.00	46658.00	117458.00	90406.00
2008–09	27052.00	60779.00	36117.00	123948.00	103935.00
2009–10	20013.00	95636.00	68462.00	184111.00	165141.00
2010–11	18970.00	84868.00	64168.00	168006.00	157730.00
2011–12	10276.00	80232.00	85327.00	175835.00	150946.00
2012–13	24889.00	98201.00	107981.13	206182.13	138499.00
2013–14 (अनन्तिम)	101100.00	79493.27	94454.47	275047.74	172914.91
2014–15 (अनुमानित)	102132.00	94500.00	12476.00	321392.00	209530.00

C:\Users\omninet24.OMNINET.000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet